Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

न्यायालय सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

(समक्ष –संदीप कुमार श्रीवास्तव)

(पुलिस थाना सायबर एवं उच्च तकनीकी, भोपाल की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 55/2016)

परिवादी/अभियोगी	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा–प्रभारी पुलिस थाना सायबर एवं उच्च–तकनीकी अपराध, भोपाल (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमती मंजू जैन सिंह अपर लोक अभियोजक
फरियादी	राजकुमार साबू आत्मज स्व. श्री सीताराम जी साबू, आयु 63 वर्ष, निवासी 23, जवाहर मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरीश मेहता अधिवक्ता
अभियुक्तगण	1– गोपाल साहू आत्मज स्व. श्री सीताराम साबू, आयु 68 वर्ष,निवासी 89, सीताराम इस्टेट, जागीरम्मापालयम, सेलम–636302 (तमिलनाडू) 2– विकास साबू आत्मज श्री गोपाल साबू आयु 48 वर्ष,निवासी 89, सीताराम इस्टेट, जागीरम्मापालयम, सेलम–636302 (तमिलनाडू)

लगातार.....2

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

	3– विशाल साबू आत्मज श्री गोपाल साबू आयु 43 वर्ष,निवासी 89, सीताराम इस्टेट, जागीरम्मापालयम, सेलम–636302 (तमिलनाडू)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रवि शाहनी अधिवक्ता

''प्रारूप–ङ''

घटना दिनांक	03 / 06 / 2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	16 / 07 / 2016
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	12 / 08 / 2017
आरोप लगाये जाने की दिनांक	24 / 04 / 2018
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक	20 / 07 / 2018
निर्णय हेतु सुरक्षित किये जाने की दिनांक	17 / 08 / 2023
निर्णय दिनांक	21 / 08 / 2023
दंडादेश दिनांक (यदि कोई हो)	कुछ नहीं

लगातार.....3

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

अभियुक्तगण का विवरण

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की दिनांक	अपराध, जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान व्यतीत की गई निरोध अवधि
1.	गोपाल साबू	24.08.17	24.08.17	धारा 66—सी आई. टी.एक्ट, विकल्प में धारा 66—सी आई.टी.एक्ट सपठित धारा 34 भा. दं. वि.	**दोषमुक्त**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**
2.	विकास साबू	31.08.17	31.08.17	धारा 66—सी आई. टी.एक्ट, विकल्प में धारा 66—सी आई.टी.एक्ट सपठित धारा 34 भा. दं. वि.	**दोषमुक्त**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**
3.	विशाल साबू	24.08.17	24.08.17	धारा 66—सी आई. टी.एक्ट, विकल्प में धारा 66—सी आई.टी.एक्ट सपठित धारा 34 भा. दं. वि.	**दोषमुक्त**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**

लगातार.....4

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

''प्रारूप—च''

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

क—अभियोजन

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	राजकुमार साबू	फरियादी / पीड़ित साक्षी
अ.सा.2	दिलीप पचौरी	मेमोरेण्डम एवं जप्ती से संबंधित साक्षी
अ.सा.3	उमेश कुमार झाला	अन्य साक्षी
अ.सा.4	मनीष कुकरेती	अन्य साक्षी
अ.सा.5	वर्षा सिंह	अन्य साक्षी
अ.सा.6	जयमरूणन	मेमोरेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी से संबंधित साक्षी
अ.सा.7	राजेन्द्र बिसेन	अनुसंधान से संबंधित साक्षी
अ.सा.8	केतन प्रधान	अन्य साक्षी
अ.सा.9	चन्द्रकांत पाटीदार	अनुसंधान से संबंधित साक्षी
अ.सा.10	रविकांत डेहरिया	अनुसंधान से संबंधित साक्षी

लगातार........5

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

ख— प्रतिरक्षा साक्षी (यदि कोई हो)

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
	कोई नहीं	कुछ नहीं

ग—न्यायालयीन साक्षी (यदि कोई हो)

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
	कोई नहीं	कुछ नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन के प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

क—अभियोजन द्वारा प्रदर्शितः—

क्र.	प्रदर्श क्र.	दस्तावेज का विवरण
01	प्रदर्श पी.1	शिकायती आवेदन पत्र
02	प्रदर्श पी.2	शिकायती आवेदन पत्र
03	प्रदर्श पी.3 से 41	फरियादी द्वारा गूगल से निकाला गया प्रिंट
04	प्रदर्श पी.42 व 43	धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
05	प्रदर्श पी.44	अभियुक्त गोपाल साबू का मेमोरेण्डम कथन
06	प्रदर्श पी.45	अभियुक्त गोपाल साबू से संपत्ति जप्त किये जाने से संबंधित का

लगातार.....6

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

		जप्ती पत्रक
07	प्रदर्श पी.46	अभियुक्त गोपाल साबू का गिरफ्तारी पत्रक
08	प्रदर्श पी.47	अभियुक्त विशाल साबू का मेमोरेण्डम कथन
09	प्रदर्श पी.48	अभियुक्त विशाल साबू से संपत्ति जप्त किये जाने से संबंधित का जप्ती पत्रक
10	प्रदर्श पी.49	अभियुक्त विशाल साबू का गिरफ्तारी पत्रक
11	प्रदर्श पी.50	अभियुक्त विकास साबू का गिरफ्तारी पत्रक
12	प्रदर्श पी.51	तलाशी पंचनामा
12	प्रदर्श पी.52	विवेचना अधिकारी द्वारा नोडल आफिसर, बी.एस.एन.एल. भोपाल को लिखा गया पत्र
12	प्रदर्श पी.52—ए	वोडाफोन द्वारा विवेचना अधिकारी को लिखा गया पत्र
13	प्रदर्श पी.53 व 54	बी.एस.एन.एल. भोपाल का पत्र
14	प्रदर्श पी.55	धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
15	प्रदर्श पी.56	बी.एस.एन.एल. बैंगलोर का पत्र
16	प्रदर्श पी.57	बी.एस.एन.एल. भोपाल का पत्र
17	प्रदर्श पी.58 व 59	धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र

लगातार.....7

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

18	प्रदर्श पी.60	एयरटेल का पत्र
19	प्रदर्श पी.61	विवेचना अधिकारी द्वारा एयरटेल के नोडल आफिसर को लिखा गया पत्र
20	प्रदर्श पी.62	प्रथम सूचना रिपोर्ट
21	प्रदर्श पी.63	विवेचना अधिकारी द्वारा गूगल को लिखा गया पत्र
22	प्रदर्श पी.64	विवेचना अधिकारी द्वारा एयरटेल के नोडल आफिसर को दं.प्र.सं. की धारा 91 के अंतर्गत जारी सूचना पत्र

ख—प्रतिरक्षा—पक्ष द्वारा प्रदर्शित :—

क्र.	प्रदर्श क्र.	दस्तावेज का विवरण
01	प्रदर्श डी.1	दं.प्र.सं. की धारा 161 का पुलिस कथन

ग—न्यायालय द्वारा प्रदर्शित

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का विवरण
	कोई नहीं	कुछ नहीं

लगातार.....8

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

घ–भौतिक वस्तुऐंः–

क्रमांक	भौतिक वस्तु का क्रमांक	वस्तु का विवरण
01	आर्टिकल–''ए–1''	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म
02	आर्टिकल–''ए–2''	वोडाफोन का पोर्ट–इन कस्टमर्स फार्म
03	आर्टिकल–''ए–3''	वोडाफोन का पोर्ट–इन कस्टमर्स फार्म
04	आर्टिकल–''ए–4''	एनरोलमेंट शीट
05	आर्टिकल–''ए–5''	अभियुक्त विकास साबू का भारत निर्वाचन पहचान पत्र
06	आर्टिकल–''ए–6''	साबू ट्रेड प्रा.लि. का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
07	आर्टिकल–''ए–7''	साबू ट्रेड प्रा.लि. द्वारा वोडाफोन को लिखा गया पत्र
08	आर्टिकल–''ए–8''	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तमिलनाडू द्वारा साबू ट्रेड प्रा.लि. के नाम से जारी प्रमाण पत्र
09	आर्टिकल–''ए–9''	साबू ट्रेड प्रा.लि. का संशोधित प्रस्ताव दिनांक 05.06.2006
10	आर्टिकल–''ए–10''	साबू ट्रेड प्रा.लि. द्वारा वोडाफोन को लिखा गया पत्र

लगातार.....9

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

11	आर्टिकल—''ए—11''	डी—लिंक कंपनी का मॉडेम
12	आर्टिकल—''ए—12''	माह अगस्त 2016 के अभियुक्त के टेलीफोन के बिल की छाया प्रति
13	आर्टिकल—''ए—13''	एयरटेल प्री—पेड एनरोलमेंट फॉर्म
14	आर्टिकल—''ए—14''	सलेम स्वदेश्वरी कॉलेज द्वारा बी.मणिकंदन का जारी पहचान पत्र
15	आर्टिकल—''ए—15''	मोबाईल नंबर 9944012699 की सी.डी.आर.
16	आर्टिकल—''ए—16''	अनुसंधान अधिकारी द्वारा गूगल को दं.प्र.सं. की धारा 91 के अंतर्गत प्रेषित सूचना पत्र
17	आर्टिकल—''ए—17''	गूगल द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी
18	आर्टिकल—''ए—18''	गूगल द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी
19	आर्टिकल—''ए—19''	गूगल द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी
20	आर्टिकल—''ए—20''	अनुसंधान अधिकारी द्वारा याहू को दं.प्र.सं. की धारा 91 के अंतर्गत प्रेषित सूचना पत्र
21	आर्टिकल—''ए—21''	याहू द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी

लगातार.....10

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

22	आर्टिकल—''ए—22''	याहू द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी
23	आर्टिकल—''ए—23''	याहू द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी
24	आर्टिकल—''ए—24''	अनुसंधान अधिकारी द्वारा बी.एस.एन.एल. के नोडल अधिकारी को दं.प्र.सं. की धारा 91 के अंतर्गत प्रेषित सूचना पत्र
25	आर्टिकल—''ए—25''	अनुसंधान अधिकारी द्वारा बी.एस.एन.एल. के नोडल अधिकारी को दं.प्र.सं. की धारा 91 के अंतर्गत प्रेषित सूचना पत्र
26	आर्टिकल—''ए—26''	बी.एस.एन.एल. के नोडल अधिकारी द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी
27	आर्टिकल—''ए—27''	अनुसंधान अधिकारी द्वारा गूगल के लीगल इंवेस्टीगेशन सपोर्ट को दं.प्र.सं. की धारा 91 के अंतर्गत प्रेषित सूचना पत्र
28	आर्टिकल—''ए—28''	गूगल के लीगल इंवेस्टीगेशन सपोर्ट द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी
29	आर्टिकल—''ए—29''	गूगल के लीगल इंवेस्टीगेशन सपोर्ट द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित जानकारी

लगातार.....11

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

::निर्णय::

(आज दिनांक 21.08.2023 को घोषित)

1– उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 03.06.2016 को रात्रि 8:42 बजे एवं 8:43 बजे या उसके लगभग सेलम (तमिलनाडू) भारत में फरियादी राजकुमार साबू के ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com के रिकवरी मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in एवं रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 98270218646 को एवं पास–वर्ड को परिवर्तित कर क्रमशः shudev100@gmail.com एवं मोबाईल नंबर 9944012699 करने और राजकुमार साबू की ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com का प्रयोग कर उक्त ई–मेल rajkumarsabu846@gmail.com के पहचान की चोरी करने अथवा उक्त कृत्य सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित करने के कारण धारा 66–सी आई.टी. एक्ट एवं विकल्प में धारा 66–सी आई.टी. एक्ट सपठित धारा 34 भा.दं.वि. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप है।

2– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी राजकुमार साबू (अ.सा.12) इन्दौर में निवास करता है और शिव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से इन्दौर में किराना,

लगातार.....12

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

साबूदाना, पोहा आदि का व्यवसाय करता है। फरियादी राजकुमार साबू, अभियुक्त गोपाल साबू का भाई है और अभियुक्तगण विकास साबू एवं विशाल साबू, अभियुक्त गोपाल साबू के पुत्र हैं तथा राजकुमार साबू और अभियुक्तगण के बीच व्यवसायिक मतभेद हैं।

3– अभियोजन का पक्ष कथन यह है कि फरियादी राजकुमार साबू ने दिनांक 06.06.2016 को पुलिस महानिरीक्षक राज्य सायबर, पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रदर्श पी.1 की लिखित शिकायत बिजनेस मतभेद के चलते ई–मेल एकाउंट हैक होने के संबंध में इस आशय की प्रस्तुत किया कि फरियादी राजकुमार साबू 231, जवाहर मार्ग, इन्दौर का निवासी है। अगस्त 2014 में फरियादी ने ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com बनाई थी। ई–मेल आई.डी. बनाते समय जानकारी में उसने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9827021846 और रिकवरी मेल rajkumarsabu@yahoo.in दिया था, जिसका स्वामित्व भी उसका है। 05 जून 2016 को जब उसने अपना रिकवरी मेन रिकवरी मेल rajkumarsabu@yahoo.in देखा तो उस पर 03 जून 2016 को आये हुये ई–मेल से ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने उसके

लगातार.....13

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

ई–मेल आई.डी. रिकवरी मेल rajkumarsabu@yahoo.in का पास–वर्ड, रिकवरी मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in और रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9827021846 बदल दिया है। जब उसने ई–मेल की रिकवरी करने की कोशिश की तो उसे ज्ञात हुआ कि किसी ने 03 जून 2016 को रात 8:42 पर सेलम (तमिलनाडू), भारत के आई.पी. एड्रेस 117.218.125.78 से पास–वर्ड बदला है। इसके बाद उस ई–मेल आई.डी. से सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 से 03 जून 2016 को रात 8:43 बजे लॉग–इन किया गया और उसके रजिस्टर्ड फोन नंबर को बदलकर 944012699 किया गया और रजिस्टर्ड रिकवरी ई–मेल आई.डी. को बदलकर shudev100@gmail.com किया गया। 04 जून 2016 को इस ई–मेल को Linux डिवाईस से प्रातः 11:11 पर सेलम (तमिलनाडू) पर firefox 46.0 से आई.पी. एड्रेस 42.104.81.17 से खोला गया था। शक है कि इस ई–मेल आई.डी. से गोपाल साबू, विकास साबू एवं विशाल साबू निवासी 89, सीताराम स्ट्रीट, जग्गिरामापल्यम, जलाराम मंदिर के सामने, डॉक्टर्स कॉलोनी, सेलम (तमिलनाडू) ने हैक किया है, वे अपना व्यवसाय 114, नरसीमन चेट्टी रोड, सेवापेट, सेलम तथा 3/11, साबू मिल, कमल्लापट्टी मेन रोड, पनामारूथुपट्टी,

लगातार.....14

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

सेलम से करते हैं। उनके साथ उसके व्यवसायिक मतभेद भी चल रहे हैं और कुछ दिनों से वे उसे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे है, उसे शक है कि इस ई—मेल आई.डी. से उन्होंने कुछ अवैध गतिविधि भी की हैं। उक्त ई—मेल में उसके व्यवसाय से संबंधित जानकारी थीं, जिसका वह दुरूपयोग कर रहे हैं।

4— अभियोजन का पक्ष कथन आगे यह है कि उक्त प्रदर्श पी.1 की लिखित शिकायत आवेदन पत्र को जोनल कार्यालय इन्दौर में शिकायत क्रमांक 586/2016 पर दर्ज कर जांच में लिया गया और gmail, yahoo, BSNL को मेल कर जानकारी प्राप्त की गई और प्राप्त जानकारी पर से आई.पी. एड्रेस 117.218.125.78 के धारक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट ''अधिनियम'' की धारा 66—सी के अधीन अपराध क्रमांक 55/2016 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी राजकुमार साबू की मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com के संबंध में gmail को मेल कर जानकारी प्राप्त की गई और पाया गया कि घटना दिनांक 3,4 जून 2016 को फरियादी राजकुमार साबू की मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com, आई. पी. एड्रेस 117.218.125.78 पर लॉग—इन करना पाया गया और उक्त दिनांक व

लगातार.....15

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

समय पर आई.पी. 117.218.125.78 का उपयोगकर्ता फोन नंबर 04272340100 पता– 89/1 डॉक्टर्स कॉलोनी, सीताराम स्ट्रीट, जग्गिरमापल्यम सलेम, तमिलनाडू–636005 पाया गया। विवेचना में पाया गया कि घटना के समय राजकुमार साबू के मेल आई. डी. rajkumarsabu846@gmail.com का उपयोग कर उसके रिकवरी मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in से को बदलकर shudev100@gmail.com किया गया। gmail से मेल आई.डी. shudev100@gmail.com के उपयोगकर्ता की जानकारी प्राप्त की गई, जो उक्त मेल आई.डी. svissab तथा मोबाईल नंबर 919361705775 घटना दिनांक समय 03 जून 2016 को आई.पी. एड्रेस 117.218. 125.78 पर लॉग–इन किया गया है। ई–मेल आई.डी. shudev100@gmail.com का रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9361705753 है, जिसके लिये वोडाफोन से सिम–धारक की जानकारी ली गई, जो उक्त घटना दिनांक को साबू ट्रेड प्रा.लि. (विकास, विशाल एवं गोपाल–अभियुक्तगण) के नाम की होना पाया गया। राजकुमार साबू के ई–मेल आई. डी. के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9827021846 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा ई–मेल आई.डी. का उपयोग, मोबाईल नंबर 9944012699 परिवर्तित कर दिया गया, जिसके सी.डी.आर.

लगातार.....16

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

के अवलोकन से पाया गया कि उक्त मोबाईल नंबर 994012699 तथा 9361705753 का आपस में कई बार संपर्क हुआ है। विवेचना में पाया गया कि yahoo से जानकारी अनुसार 10 जून 2016 को shivtrading846@yahoo.com का पास—वर्ड shudev100@gmail.com के उपयोगकर्ता vissab मोबाईल नंबर 9361705753 है, जो साबू ट्रेड प्रा.लि. द्वारा उपयोग की जा रही है। विवेचना के क्रम में उक्त आई.पी. 117.218.125.78 के उपयोगकर्ता मोबाईल नंबर 9361705753 के धारक, shudev100@gmail.com, उपयोगकर्ता साबू ट्रेड के मालिक गोपाल साबू, विकास साबू एवं विशाल साबू के मेमोरेण्डम कथन लिये गये।

5— अभियुक्त गोपाल साबू से उसके मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी.44 के आधार पर लेण्ड—लाईन नंबर 04272340100 के माह अगस्त 2016 के बिल की छाया प्रति और डी—लिंक कंपनी का मॉडेम जप्त किया गया। अभियुक्त विशाल साबू से मोबाईल नंबर 9361705753 के बिल की छाया प्रति, मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी.47 के आधार पर जप्त की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया एवं बाद अनुसंधान, अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

लगातार.....17

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

6– अभियुक्तगण ने पैरा–1 में वर्णित आरोप का प्रत्याख्यान किया एवं अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह अभिकथित किया कि राजकुमार साबू उसका भाई/चाचा हैं और उनकी कंपनी में डायरेक्टर थे । राजकुमार साबू डायरेक्टर रहते हुये दूसरी कंपनी नहीं बना सकते थे, परंतु उन्होंने अवैधानिक तरीके से अपने निजी नाम से सच्चा मोती का ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड कराया, इस कारण उनके व्यवसायिक मतभेद हैं। वाय–फाय का कनेक्शन लेते समय वे भी डायरेक्टर थे। राजकुमार साबू व उनका परिवार भी परिवार वाय–फाय का उपयोग करते थे। घटना दिनांक से एक दिन पहले 02.06.2016 को वह सेलम आ गये थे और घटना वाले दिन भी वहीं थे और ट्रेड मार्क को लेकर दबाव बनाते हैं। परंतु बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं दी है।

अवधारणीय प्रश्न

1.	क्या दिनांक 03.06.2016 को रात्रि 8:42 बजे एवं 8:43 बजे या उसके लगभग सेलम (तमिलनाडू) भारत में अभियुक्तगण ने फरियादी राजकुमार साबू के ई–मेल आई.डी.

लगातार.....18

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

	rajkumarsabu846@gmail.com के रिकवरी मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in एवं रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 98270218646 को एवं पास–वर्ड को परिवर्तित कर क्रमशः shudev100@gmail.com एवं मोबाईल नंबर 9944012699 किया और राजकुमार साबू की ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com का प्रयोग कर उक्त ई–मेल rajkumarsabu846@gmail.com के पहचान की चोरी की? **<u>विकल्प में</u>** क्या उक्त दिनांक समय पर अभियुक्तगण ने उक्त अपराध कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने या सह अभियुक्तगण ने फरियादी राजकुमार साबू के ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com के रिकवरी मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in एवं रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर

लगातार.....19

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

	98270218646 को एवं पास–वर्ड को परिवर्तित कर क्रमशः shudev100@gmail.com एवं मोबाईल नंबर 9944012699 किया और राजकुमार साबू की ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com का प्रयोग कर उक्त ई–मेल rajkumarsabu846@gmail.com के पहचान की चोरी की?
2.	दोषसिद्धि एवं दण्डादेश? यदि कोई हो?

विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 पर निष्कर्ष :–

7– राजकुमार साबू (अ.सा.1) की स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त यह परिसाक्ष्य है कि उसके तीन ई–मेल आई.डी. हैं, जिन्हें वह अपने व्यवसाय और निजी व लीगल प्रोसेस के लिये उपयोग करता है। उसका पहला ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com,दूसरा ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in तथा तीसरा ई–मेल आई.डी. shivtrading846@yahoo.com है। उसका रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9827021846 है। rajkumarsabu846@gmail.com का रिकवरी एड्रेस

लगातार.....20

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

उसने rajkumarsabu@yahoo.in दिया था। दिनांक 05.06.2016 को जब उसने लॉग–इन किया तो गूगल के रिकवरी मेल से ज्ञात हुआ कि उसकी उक्त आई.डी., पास–वर्ड व रिकवरी मेल एड्रेस एवं रजिस्टर्ड मेल एड्रेस को चेंज करके मोबाईल नंबर 9827021846 की जगह 9944012699 कर दिया गया है व रिकवरी मेल एड्रेस rajkumarsabu@yahoo.in के स्थान पर shudev100@gmail.com कर दिया गया है और पास–वर्ड भी बदल दिया गया है। उक्त सभी गतिविधियां सेलम (तमिलनाडू) के आई.पी.एड्रेस से की गई हैं। rajkumarsabu846@gmail.com को वह उसके जितने मोबाईल पर एप्प डाऊन–लोड करता है, उससे जुड़ा हुआ है।

8– राजकुमार साबू (अ.सा.1) की परिसाक्ष्य है कि उसने दिनांक 06.06.2016 को पुलिस महानिरीक्षक भोपाल राज्य सायबर, पुलिस मुख्यालय भोपाल के नाम से इन्दौर शाखा में लिखित शिकायत दी थी। उसकी लिखित शिकायत प्रदर्श पी.1 है, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेल आई.डी. दिनांक 03.06. 2016 को सेलम से सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 से रात 8:42 पर हैक किया गया था। उसके दो अन्य ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in तथा

लगातार.....21

shivtrading846@yahoo.com हैं। उक्त आई.डी. को सेलम (तमिलनाडू) से हैक किया गया था। उपरोक्त सभी गतिविधि की उसे गूगल के नोटिफिकेशन से जानकारी प्राप्त हुई थी, जो पेज नंबर 1 से 39 तक अपने हस्ताक्षर के साथ आगामी आवेदन के पुलिस को प्रस्तुत किया था, जो आवेदन पत्र प्रदर्श पी.2 है और उसके द्वारा गूगल से निकाले गये प्रिंट प्रदर्श पी.3 लगायत प्रदर्श पी. 41 हैं। उक्त दस्तावेजों के संबंध में उसके द्वारा धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिया गया था, जो प्रदर्श पी.42 एवं प्रदर्श पी.43 हैं, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी. 2 लगायत प्रदर्श पी.41 के ''ए से ए'' भाग पर उसने प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किये हैं।

9— राजकुमार साबू (अ.सा.1) की परिसाक्ष्य है कि उसने संदेह के आधार पर उक्त अभियुक्तगण के नाम लिखवाये थे। उक्त मेल आई.डी. से उसके सभी व्यवसायिक, आर्थिक और लीगल कार्यवाहियां की जाती हैं, वह समाहित हैं और उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अभियुक्तगण से व्यवसायिक मतभेद चल रहे थे और उन लोगों के बीच जो लिखित संव्यवहार हो रहे थे तथा वकीलों के मध्य उसका जो

लगातार........22

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

संवाद मेल आई.डी. से हो रहा था, वह मेल आई.डी. हैक की गई थी और उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया था।

10– निरीक्षक चन्द्रकांत पाटीदार (अ.सा.9) की परिसाक्ष्य है कि दिनांक 15.06.2016 को वह थाना सायबर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने नोडल ऑफिसर को एयरटेल मोबाईल नंबर 9944012699 की सी.डी. आर. एवं कैफ दिनांक 01.01.2016 से 10.06.2016 तक एवं धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र हेतु पत्र प्रदर्श पी.61 लिखा था, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त पत्र के पालन में एयरटेल कंपनी के द्वारा धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र सहित कवरिंग लेटर, सी.डी.आर. और कैफ प्राप्त हुई थी। उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी.59 व प्रदर्श पी.60 तथा आर्टिकल–''ए–13 लगायत आर्टिकल–''ए–15'' हैं। उक्त परिसाक्ष्य का समर्थन केतन प्रधान (अ.सा.8) करते हुये यह अभिकथित करता है कि भारती एयरटेल लि. इन्दौर में जनवरी 2016 से अल्टरनेट नोडल आफिसर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 15.06. 2016 को थाना सायबर भोपाल के द्वारा मोबीईल नंबर 9944012699 की सी.डी.आर.,

लगातार.....23

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

कैफ एवं धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में उक्त मोबाईल नंबर की कैफ एवं सी.डी.आर. भेजी गई थीं। मोबाईल नंबर 9944012699 की कैफ बी.मणिकंदन के नाम से है, जो आर्टिकल–''ए–13'' है, जिसके ''ए से ए'' भाग पर कंपनी की सील लगी है। संलग्न पहचान पत्र आर्टिकल–''ए–14'' एवं संलग्न सी.डी.आर. 10 पृष्ठों में आर्टिकल–''ए–15'' है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर कंपनी की सील लगी है। उक्त दस्तावेज के संबंध में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 59, कवरिंग लेटर प्रदर्श पी.60 है, जिसके ''ए से ए'' भाग पर तत्कालीन नोडल अधिकारी सांई दत्त बौहरे के हस्ताक्षर हैं।

11– निरीक्षक रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) की परिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 06.06.2016 को थाना सायबर जोनल कार्यालय इन्दौर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उस समय फरियादी राजकुमार साबू के द्वारा ई–मेल एकाउंट हैक करने के संबंध में एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर उसके द्वारा जांच के उपरांत् प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 55/2016 धारा 66 आई. टी. एक्ट, आई.

लगातार.....24

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

पी. 117.218.125.78 के उपयोगकर्ता के विरूद्ध दर्ज की गई थी, जो प्रदर्श पी.62 है, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12– निरीक्षक रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) की परिसाक्ष्य है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक 19.07.2016 को गूगल लीगल इंवेस्टीगेशन सपोर्ट को धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस देकर शिकायतकर्ता के जी.मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com के दिनांक 03.06.2016 को हैकर्स के द्वारा रिकवरी में rajkumarsabu@yahoo.in एवं रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9827021846 की जानकारी हेतु पत्र लिखा था, जो प्रदर्श पी. 63 है, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उक्त दिनांक को ही उक्त जानकारी हेतु उसके द्वारा ई–मेल भी किया गया था, जो आर्टिकल–''ए–16'' है। दिनांक 19.07.2016 को गूगल से ई–मेल के द्वारा जानकारी आर्टिकल–''ए–17'' प्राप्त हुई थी। दिनांक 31.08.2016 को गूगल डिपार्टमेंट से ई–मेल के द्वारा प्राप्त जानकारी आर्टिकल–''ए–18'' है और उसके साथ राजकुमार साबू के आई.पी. एड्रेस की जानकारी दी गई थी, जिसमें समय और दिनांक के बारे में जानकारी थी, जो आर्टिकल–''ए–19'' है।

लगातार.....25

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

13– निरीक्षक रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) की परिसाक्ष्य है कि दिनांक 22 जुलाई 2016 को याहू इंडिया प्रा.लि. को आई.पी. एड्रेस की जानकारी के लिये ई–मेल किया था, जो आर्टिकल–''ए–20'' है और उक्त ई–मेल के पालन में याहू इंडिया प्रा.लि. से ई–मेल से जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें लॉग–इन की जानकारी थी गई थी और जिसमें उपयोगकर्ता का विवरण और आई.पी. लॉग–इन के बारे में जानकारी थी, जो आर्टिकल–''ए–22'' है। दिनांक 11 अगस्त 2016 को को याहू को जानकारी हेतु पुनः ई–मेल किया गया था, जो आर्टिकल–''ए–23'' है।

14– निरीक्षक रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) की परिसाक्ष्य है कि दिनांक 07 जून 2016 को गूगल लीगल इन्वेस्टीगेशन सपोर्ट को धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस देकर जी–मेल एकाउंट shudev100@gmail.com की जानकारी मांगी गई थी, जो आर्टिकल–''ए–27'' है, उक्त ई–मेल के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके उपयोगकर्ता का मोबाईल नंबर और रिकवरी ई–मेल आई.डी. और आई.पी. लॉग–इन के बारे में था, जो आर्टिकल–''ए–28'' है और उसका अटेचमेंट आर्टिकल–''ए–29'' है।

लगातार.....26

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

15– निरीक्षक रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) की परिसाक्ष्य है कि दिनांक 26.08.2016 को नोडल ऑफिसर एयरटेल को धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस देकर मोबाईल नंबर 9944012699 दिनांक 01.06.2015 की कैफ एवं धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मंगाने हेतु मेल किया था, जो प्रदर्श पी.59 है, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एयरटेल कंपनी से उक्त मोबाईल नंबर की कैफ प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार कैफ–धारक बी.मणिकंदन था, जो जानकारी प्राप्त हुई थी, वह आर्टिकल–''ए–13'' है और मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल आर्टिकल–''ए–15'' है। उक्त परिसाक्ष्य का समर्थन केतन प्रधान (अ.सा.8) अपनी परिसाक्ष्य में करता है और आर्टिकल–''ए–13'', आर्टिकल–''ए–14'' एवं आर्टिकल–''ए–15'' के प्रत्येक प्रत्येक पृष्ठ के ''ए से ए'' भाग पर कंपनी की सील लगी होना कहता है। प्रदर्श पी.59 के साथ कवरिंग लेटर प्रदर्श पी.60 दिया जाना कहता है और प्रदर्श पी. 59 तथा प्रदर्श पी.60 के ''ए से ए'' भाग पर तत्कालीन नोडल ऑफिसर सांई दत्त बौहरे के हस्ताक्षर होना कहता है।

16– निरीक्षक रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) की परिसाक्ष्य है कि दिनांक

लगातार.....27

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

दिनांक 09 जुलाई 2016 को उसके द्वारा बी.एस.एन.एल. के नोडल अधिकारी को ई–मेल किया गया था, जिसमें आई.पी. डिटेल के लिये उपयोगकर्ता के नाम–पता की जानकारी के लिये किया गया था, जो आर्टिकल–''ए–24'' है। उसके द्वारा भेजे गये ई–मेल के संबंध में बी.एस.एन.एल. के द्वारा धारा 65–बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया था, जिसकी जानकारी ई–मेल के माध्यम से दी गई थी, जो आर्टिकल–''ए–26'' है। निरीक्षक रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) की परिसाक्ष्य है कि दिनांक 28.07.2016 को उसने नोडल ऑफिसर बी.एस.एन.एल. को धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देने के लिये पत्र लिखा था,जो प्रदर्श पी.52 है, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17– उपरोक्त परिसाक्ष्य का समर्थन उमेश कुमार झाला (अ.सा.3) करता है और अपनी परिसाक्ष्य में यह अभिकथित करता है कि वह वर्तमान में एस.डी.ई. (सी.डी. आर.) सिटी टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग भोपाल में पदस्थ है। प्रकरण के समय वह बी.एस.एन.एल. के जी.एम.टी.डी. भोपाल के न्यू मार्केट स्थित कार्यालय में नोडल अधिकारी के पद पर मार्च 2014 से पदस्थ था। दिनांक 06 जून 2016 को सायबर

लगातार.....28

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

सेल भोपाल के माध्यम से उसे धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे दिनांक 03.06.2016 का आई.पी.एड्रेस 117.218.125.78 समय 20:54, 20:47, 20:43 एवं 20:42 की जानकारी चाही गई थी। उक्त मेल से संबंधित जानकारी उसने सी.डी.आर. सेल भोपाल को फॉर्वर्ड कर दिया था। सायबर सेल द्वारा चाही गई आई. पी. एड्रेस की जानकारी उसके द्वारा मेल के माध्यम से भेजी गई थी, जिसमें उक्त एड्रेस साबू ट्रेड प्रा.लि. और फोन नंबर 04272340100 पता 89/1 डॉक्टर्स कॉलोनी, सेलम का था। उसे दिनांक 05.08.2016 को एक पत्र सायबर सेल भोपाल से धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देने के लिये लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी. 52 है। उक्त पत्र उसने ई–मेल के माध्यम से एस.डी.ई. (सिक्योरिटी) बी.एस.एन.सर्कल ऑफिस भोपाल के ई–मेल आई.डी. से 06 अगस्त 2016 को भेजा था, जिसके संबंध में उसे प्रदर्श पी.53 के माध्यम से बी.एस.एन.एल. बैंगलोर कार्यालय द्वारा प्रमाणित कर मय 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त हुई थी, जो प्रदर्श पी.54, प्रदर्श पी.55 एवं प्रदर्श पी.56 है। प्रदर्श पी.56 में सायबर सेल द्वारा चाही गई आई.पी. एड्रेस की जानकारी संलग्न थी। उक्त

लगातार.....29

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

जानकारी उसके द्वारा प्रदर्श पी.57 के पत्र के माध्यम से सायबर सेल भोपाल को भेज दी गई थी, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— मनीष कुकरेती (अ.सा.4) की परिसाक्ष्य है कि वह वोडाफोन मोबाईल सर्विसेज लि. में वर्ष 2012 से अतिरिक्त नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थ है और वर्तमान में अगस्त 2018 में वोडाफोन एवं आईडिया कंपनी के मर्ज होने के पश्चात् नई कंपनी वोडाफोन—आईडिया कं. लि. में बतौर अतिरिक्त नोडल अधिकारी कार्यरत् है। कंपनी द्वारा उसे न्यायालय में लंबित प्रकरणों में गवाही देने हेतु नियुक्त किया गया है। उसकी कंपनी को राज्य सायबर सेल का पत्र क्रमांक 1367/17 दिनांक 09.06.2017 प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत मोबाईल नंबर 9361705753 के कैफ की सत्यापित प्रति चाही गई थी, उक्त पत्र के पालन में दिनांक 12.06.2017 को उसके कार्यालय द्वारा सायबर सेल को जानकारी दी गई थी, जिसका पत्र प्रदर्श पी. 52—ए है और प्रदर्श पी. 52—ए के साथ संलग्न सत्यापित दस्तावेज आर्टिकल—''ए—1'' लगायत आर्टिकल—''ए—10'' है, जिनके ''ए से ए'' भाग पर तत्कालीन नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

लगातार.....30

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

19— महिला आरक्षक वर्षा सिंह (अ.सा.5) की परिसाक्ष्य है कि वह वर्ष 2017 में राज्य सायबर सेल पुलिस जोन इन्दौर में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। उस समय उसने भोपाल के अपराध क्रमांक 55/2016 अंतर्गत धारा 66—सी आई. टी. एक्ट के प्रकरण में कम्प्यूटर से निर्गमित दस्तावेजों के संबंध में धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिया था, जो प्रदर्श पी.58 है, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

20— राजेन्द्र बिसेन (अ.सा.7) की परिसाक्ष्य है कि दिनांक 09.03.2017 को थाना सायबर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अभियुक्त गोपाल साबू से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी.44 दर्ज किया था, जिसके ''सी से सी'' भाग पर अभियुक्त गोपाल साबू के और ''बी से बी'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी.44 में अभियुक्त गोपाल साबू ने बताया था कि उसकी साबू ट्रेडर्स प्रा.लि. कंपनी सेलम (तमिलनाडू) में है, जिसका वह डायरेक्टर है। उसकी कंपनी के नाम से बी.एस.एन.एल. लेण्ड—लाईन का नंबर 04272340100 का लेण्ड—लाईन कनेक्शन है, जिस पर ब्रॉड—बेण्ड की सुविधा

लगातार.....31

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

प्राप्त है, जिसका उपयोग वह और उसके पुत्र विकास और विशाल करते हैं। उक्त परिसाक्ष्य का समर्थन आरक्षक दिलीप पचौरी (अ.सा.2) भी करता है और मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी. 44 पर ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर होना कहता है।

21– निरीक्षक राजेन्द्र बिसेन (अ.सा.7) की परिसाक्ष्य है कि उक्त दिनांक को गोपाल साबू के पेश करने पर उसने उक्त लेण्ड–लाईन नंबर 04272340100 का माह अगस्त 2016 के बिल की छाया प्रति आर्टिकल–''ए–12'' और एक डी–लिंक कंपनी का काले रंग का मॉडेम आर्टिकल–''ए–11'' जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.45 बनाया था, जिसके ''सी से सी'' भाग पर अभियुक्त गोपाल साबू के और ''डी से डी'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस परिसाक्ष्य का समर्थन आरक्षक दिलीप पचौरी (अ.सा. 2) भी करता है और प्रदर्श पी.45 के ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर होना कहता है। निरीक्षक राजेन्द्र बिसेन (अ.सा.7) अभियुक्त गोपाल साबू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी.46 तैयार किया जाना और उस पर ''सी से सी'' भाग पर अभियुक्त के और ''बी से बी'' भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कहता है। इस परिसाक्ष्य का समर्थन आरक्षक दिलीप पचौरी (अ.सा.2) भी करता है और प्रदर्श पी.46

लगातार.....32

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

के ''ए से ए'' भाग पर हस्ताक्षर होना कहता है।

22– निरीक्षक राजेन्द्र बिसेन (अ.सा.7) की परिसाक्ष्य है कि अभियुक्त विशाल साबू से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी. 47 दर्ज किया था, जिसके ''सी से सी'' भाग पर अभियुक्त के तथा ''डी से डी'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसका समर्थन आरक्षक दिलीप पचौरी (अ.सा.2) भी करता है और प्रदर्श पी.47 के ''ए से ए'' भाग पर हस्ताक्षर होना कहता है। निरीक्षक राजेन्द्र बिसेन (अ.सा.7) की परिसाक्ष्य है कि अभियुक्त विशाल साबू ने मेमोरेण्डम कथन में बताया था कि smarty100@gmail.com उसकी स्वयं की ई–मेल आई.डी. है और उसका मोबाईल नंबर 9361705753 है जिसके बिल की छाया प्रति जप्त करा देता हूं। उक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अभियुक्त के पेश करने पर उक्त मोबाईल नंबर के माह अक्टूबर के बिल की छाया प्रति जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.48 बनाया था, जिसके ''सी से सी'' भाग पर अभियुक्त के और ''डी से डी'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसका समर्थन आरक्षक दिलीप पचौरी (अ.सा.2) भी करता है और प्रदर्श पी.48 पर ''ए से ए'' भाग पर हस्ताक्षर होना कहता है। निरीक्षक राजेन्द्र बिसेन (अ.सा.7) की

लगातार.....33

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

परिसाक्ष्य है कि उसने उक्त दिनांक को ही अभियुक्त विशाल साबू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.49 तैयार किया था, जिसके ''सी से सी'' भाग पर अभियुक्त के और ''डी से डी'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसका समर्थन आरक्षक दिलीप पचौरी (अ.सा.2) भी करता है और प्रदर्श पी.49 के ''ए से ए'' भाग पर हस्ताक्षर होना कहता है। अभियुक्त विकास साबू को गिरफ्तार किये जाने और गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी.50 बनाये जाने का समर्थन निरीक्षक राजेन्द्र बिसेन (अ.सा.7) एवं आरक्षक दिलीप पचौरी (अ.सा.2) भी करते हैं।

23— निरीक्षक राजेन्द्र बिसेन (अ.सा.7) की परिसाक्ष्य है कि तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी.51 तैयार किया गया था, जिसके ''बी से बी'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसका समर्थन आरक्षक दिलीप पचौरी (अ.सा.2) भी करता है और ''ए से ए'' भाग पर हस्ताक्षर होना कहता है।

24— जयमरूणम (अ.सा.6) की परिसाक्ष्य है कि वह अभियुक्तगण को जानता—पहचानता नहीं है, उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी.44, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.45, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.46, मेमोरेण्डम

लगातार.....34

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

प्रदर्श पी. 47, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.48 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.49 व प्रदर्श पी.50 के ''बी से बी'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है और प्रतिपरीक्षण योग्य प्रश्न पूछे गये हैं, परंतु इस साक्षी ने अभियोजन के पक्ष कथन का समर्थन नहीं किया है।

25– मामले में अभियोजन की ओर से फरियादी राजकुमार साबू की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है और मौखिक तर्क भी किया गया है। फरियादी की ओर से तर्क किया गया है कि मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण साबू ट्रेड प्रा.लि. के निर्देशक हैं। फरियादी राजकुमार साबू की साक्ष्य से एवं विवेचना अधिकारीगण की साक्ष्य से मामले में यह प्रमाणित होता है कि फरियादी राजकुमार साबू के ई–मेल rajkumarsabu846@gmail.com का पास–वर्ड और रिकवरी ई–मेल तथा रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर को आई.पी. एड्रेस 177.218.125.78 से बदला गया है। उक्त आई.पी. एड्रेस साबू ट्रेड प्रा.लि. का लेण्ड–लाईन नंबर 04272340100 है और जिसका पता सेलम का है। अभियुक्तगण उक्त साबू ट्रेड प्रा.लि. के

लगातार.....35

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

डायरेक्टरगण हैं। धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यह प्रमाणित हो जाता है कि उक्त फरियादी के जी–मेल को अभियुक्तगण के द्वारा हैक किया गया। shudev100@gmail.com अभियुक्त विशाल साबू की ई–मेल आई.डी. है और जिसका रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9361705753 है और उसका रिकवरी मोबाईल नंबर 9944012699 है और इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध सामान्य आशय के अग्रसरण में अपराध किया जाना प्रमाणित हुआ है।

26– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने मामले के विवेचना अधिकारी रवि कांत डेहरिया (अ.सा.10) के प्रतिपरीक्षण के पैरा–9 और पैरा–10 एवं आर्टिकल–''ए–23'' की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुये तर्क किया है कि आर्टिकल–''ए–23'' में उल्लेखित किया गया है कि rajkumarsabu@yahoo.in की आई.डी. राजकुमार साबू के नाम की एसोसिएट नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि मामले में सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 के उपयोग के द्वारा शिकायतकर्ता के कहे जा रहे ई–मेल आई.डी. के पास–वर्ड को रिकवरी ई–मेल और रिकवरी फोन नंबर को चेंज किया गया है। उक्त सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 को जप्त

लगातार.....36

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

नहीं किया गया और विवेचना अधिकारी ने उक्त मोबाईल के संबंध में जप्त करने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया, जिससे कि मामले की वस्तु–स्थिति स्पष्ट हो सके। मामले में मणिकंदन को न तो अभियुक्त बनाया गया और न ही उसके बारे में कोई विवेचना जारी रखी गई।

27– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि पास–वर्ड और अन्य जानकारियों को परिवर्तित करने के लिये ओ.टी.पी. और वैरीफिकेशन कोड आता है। घटना के समय इस संबंध में प्रक्रिया थी या नहीं, इस बारे में विवेचना अधिकारी ने कोई विवेचना नहीं की है। यदि घटना के समय उक्त प्रक्रिया नहीं थी, तब कोई भी रिकवरी ई–मेल आई.डी. और मोबाईल नंबर को परिवर्तित कर सकता है। अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क किया गया कि यदि फरियादी के ई–मेल को और उसके रिकवरी ई–मेल आई.डी. और फोन नंबर को भी परिवर्तित कर दिया गया था तो फरियादी ने अपने उक्त ई–मेल को किस प्रकार रिकवर किया है और यदि उसका पास–वर्ड ओर रिकवरी ई–मेल और मोबाईल नंबर परिवर्तित हो चुका था, तब उसके द्वारा उक्त ई–मेल को लॉग–इन नहीं किया जा सकता था। फरियादी ने

लगातार.....37

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

विवेचना अधिकारी से ई—मेल रिकवर करने के संबंध में कोई सहायता नहीं मांगी थी, जैसा कि विवेचना अधिकारी प्रतिपरीक्षण के पैरा—13 में कहते हैं।

28— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि मामले में धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो प्रमाण पत्र दिया गया है, वह विधि अनुरूप नहीं है और ऐसी दशा में जो भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि फरियादी के द्वारा प्रदर्श पी.20 लगायत प्रदर्श पी.40 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं और जिसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कहा गया है, पर इन सभी दस्तावेजों पर हाथ से दिनांक 10.06.2016 उल्लेखित किया गया है, ऐसी दशा में इन प्रदर्श पी.40 लगायत प्रदर्श पी. 41 तक के दस्तावेजों की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

29— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि मामले में फरियादी को किसी प्रकार की हानि हुई हो, ऐसा प्रमाणित नहीं किया गया है। इस संबंध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **PRATIK MOHAPATRA V/S. STATE OF MADHYA PRADESH 2021 0**

लगातार.....38

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

Cr.L.J. 800 प्रस्तुत किया है।

30– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि विवेचना अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपराध किस प्रकार घटित हुआ है। आई.पी. एड्रेस 117.218.125.78 साबू ट्रेड कंपनी के नाम का लेण्ड–लाईन नंबर 04272340100 है। यह लेण्ड–लाईन नंबर अभियुक्तगण के व्यक्तिगत् नाम का नहीं है। दांडिक प्रकरणों में व्यक्तिगत् कृत्य के लिये ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

31– प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि उभयपक्ष के बीच व्यवसायिक मतभेद है। अतः अविवादित तथ्यों एवं उपरोक्तानुसार उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिसाक्ष्य का अधिमूल्यन किया जा रहा है।

32– उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि यह मामला शिकायतकर्ता के ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com के पास–वर्ड को परिवर्तित कर, उसके

लगातार.....39

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

रिकवरी मेल rajkumarsabu@yahoo.in और रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर को परिवर्तित करने के संबंध में है। इस प्रकृति के अपराध में सामान्यतः घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होता है और इस मामले में भी घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। स्पष्ट है कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर आधारित है।

33— माननीय **SUPREME COURT OF INDIA *(F.B.)*** ने न्यायदृष्टांत **ARJUN PANDITRAO KHOTKAR V/S KAILASH KUSHANRAO GORANTYAL AND ORS Date of Decision: 14 July 2020 Citation: 2020 Law Suit(SC) 471** की कंडिका—22 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :—

> 22. The evidence relating to electronic record, as noted hereinbefore, being a special provision, the general law on secondary evidence under Section 63 read with Section 65 of the Evidence Act shall yield to the same. Generalia specialibus non derogant, special law will always prevail over the general law. It appears, the court omitted to take note of Sections 59 and 65-A dealing with the admissibility of electronic record. Sections 63 and

लगातार.....40

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

65 have no application in the case of secondary evidence by way of electronic record; the same is wholly governed by Sections 65-A and 65-B. To that extent, the statement of law on admissibility of secondary evidence pertaining to electronic record, as stated by this Court in Navjot Sandhu case, does not lay down the correct legal position. It requires to be overruled and we do so. **An electronic record by way of secondary evidence shall not be admitted in evidence unless the requirements under Section 65-B are satisfied.** Thus, in the case of CD, VCD, chip, etc., the same shall be accompanied by the certificate in terms of Section 65-B obtained at the time of taking the document, without which, the secondary evidence pertaining to that electronic record, is inadmissible.

34— माननीय **SUPREME COURT OF INDIA *(F.B.)*** ने न्यायदृष्टांत **ANVAR P V V/S P K BASHEER AND OTHERS Date of**

लगातार.....41

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

Decision: 18 September 2014 Citation: 2014 Law Suit(SC) 783 की कंडिका—16 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :—

> **[16]** Under Section 65B(4) of the Evidence Act, if it is desired to give a statement in any proceedings pertaining to an electronic record, it is permissible provided the following conditions are satisfied:
>
> (a) There must be a certificate which identifies the electronic record containing the statement;
>
> (b) The certificate must describe the manner in which the electronic record was produced;
>
> (c) **The certificate must furnish the particulars of the device involved in the production of that record;**
>
> (d) The certificate must deal with the applicable conditions mentioned under Section 65B(2) of the Evidence Act; and

लगातार.....42

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

(e) The certificate must be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device.

35– धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्धारित नहीं है। माननीय **HIGH COURT OF BOMBAY** द्वारा न्यायदृष्टांत **ARK SHIPPING CO LTD V/S GRT SHIPMANAGEMENT PVT LTD Date of Decision: 26 July 2007 Citation: 2007 Law Suit (Bom) 454** की कंडिका–7 एवं 8 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :–

[7] The petitioners, therefore, have filed an affidavit dated 3rd May, 2007 alongwith hard/ printed copies of the print outs/ emails duly certified by the concerned officer/employees, which read as under:-

"1. I state that I was employed in the chartering division of Sahi Oretrans (Pvt) Ltd. (hereinafter

लगातार.....43

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

for the sake of brevity referred to as Sahi), a company having its office at 30 Western India House, 3rd Floor, Sir. P.M.Road, Mumbai 400 001. I state that Sahi acted as the ship broker in respect of the charter-party concluded between the petitioners and respondents, abovenamed.

2. I state that being employed in the chartering division of Sahi, I was personally involved in the transaction. I state that being ship brokers all emails were forwarded to the petitioners and the respondents through computer terminals in Sahi's office, by me. In fact, my name appears in almost all the email correspondence.

3. I state that by virtue of my employment I was authorized to use the computer terminals in Sahi's office. Further, the computer terminals used by me were functioning normally at all times.

लगातार.....44

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

Further, since I was personally involved in the transaction, I in fact personally authored/saw the email correspondence exchanged between the petitioners and the respondents.

4. I hereby produce hard copies of the emails which represent the contract entered into between the parties. The said emails are annexed hereto as Exhibit "A". I crave leave to refer to and rely upon typed/clear copies of the same at the time of hearing, if necessary.

5. I confirm that the contents of the hard copies of the emails are identical to the emails exchanged through the computer terminals operated by me. I further state and confirm that the contents of the hard copies of the emails at Exhibit "A" are identical to the hard copies of the emails filed before the arbitrator, a compilation of which I have perused.

6. Accordingly, I am making this present affidavit to certify that the hard copies of the emails

लगातार.....45

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

annexed at Exhibit "A" to "A4" hereto are a "true copy"/ reproduction of the electronic record which was regularly fed into/transmitted through my computer terminal in Sahi's office in the ordinary course of activities. I further state that at all times the computer terminals utilized by me were operating properly and there is no distortion in the accuracy of the contents of the hard copies of the emails."

[8] The above affidavit, therefore, in the facts and circumstances of the case, is sufficient compliance of Section 65-B of the Evidence Act. The above hard copies/ print outs as taken out from the computer, therefore, can be treated as certified copy of agreement for Arbitration, as contemplated under the Arbitration Act-1996. These correspondence/ documents, therefore, as contended by the petitioners, and as also relied by the Tribunal at Singapore, while passing interim

लगातार.....46

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

> final award arising out of the disputes based upon this agreement, therefore, are in compliance of the provisions. The office has also endorsed the remark "as Certified original print out" as stated on oath may be treated as original after obtaining directions from the Court".

36– उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि मामले में जो भी विवेचना की गई है, वह गूगल लीगल सपोर्ट को और अन्य सेवा प्रदाताओं को ई–मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है और ई–मेल पर प्राप्त की गई और ई–मेल से प्रेषित और ई–मेल पर प्राप्त जानकारियों को प्रिंट–आउट लेकर द्वितीयक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ई–मेल को प्रमाणित करने का एक तरीका यह भी हो सकता था कि न्यायालय के समक्ष संबंधित ई–मेल को लॉग–इन किया जाकर उक्त संरक्षित ई–मेल को न्यायालय के समक्ष खोला जाकर उसके प्रिंट–आउट को संरक्षित ई–मेल से मिलान कराकर, प्रमाणित किया जा सकता था।

लगातार.....47

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है और द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उसके प्रिंट–आउट को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में उक्त सभी प्रेषित किये गये ई–मेल और प्राप्त ई–मेल के संबंध में ई–मेल को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में अभियोजन को धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रमाणित करना होगा।

37– फरियादी द्वारा प्रदर्श पी.1 की शिकायत के साथ प्रस्तुत प्रदर्श पी.3 लगायत प्रदर्श पी.41 तक के दस्तावेजों के संबंध में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के रूप में प्रदर्श पी.42 एवं प्रदर्श पी.43 के दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श पी.42 के प्रमाण पत्र में मात्र इतना उल्लेखित है कि–शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पेज कमांक 1 से 39 तक पूर्णतः सत्य है, जिसे वह प्रमाणित करता है। यह धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र धारा 65–बी

लगातार.....48

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

में उल्लेखित विधिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

38— शिकायतकर्ता राजकुमार साबू (अ.सा.1) द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी.43 के धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि शिकायतकर्ता ने यह उल्लेखित किया है कि उसने 03 जून 2016 से 10 जून 2016 तक के इस्तेमाल के संबंध में एकाउंट सिक्योरिटी के एक्टिविटी रिपोर्ट के प्रिंट—आउट ई—मेल की साईट से अपने पर्सनल कम्प्यूटर और प्रिंटर के माध्यम से निकाला था, जो कुल 39 पृष्ठों में है और उक्त दस्तावेज जैसे उसके ई—मेल आई.डी. पर आये थे, वैसे ही हुबहू प्रिंट—आउट निकाले गये थे, उसमें कोई छेड़—छाड़ एवं काट—छांट नहीं की गई है। इस प्रमाण पत्र में शिकायतकर्ता के पर्सनल कम्प्यूटर और प्रिंटर के संबंध में कोई भी विशिष्टिकरण उल्लेखित नहीं है कि उक्त पर्सनल कम्प्यूटर और प्रिंटर किस कंपनी का, किस मेक का, कौन से मॉडल का है और उस पर्सनल कम्प्यूटर और प्रिंटर का नियंत्रण किसके पास रहता है और उसका

लगातार.....49

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

उपयोग कौन—कौन करता है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में प्रदर्श पी.43 का धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है।

39— उमेश कुमार झाला (अ.सा.3) के द्वारा विवेचना अधिकारी को ई—मेल के माध्यम से दी गई जानकारी के संबंध में धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी.55 दिया गया था। इस प्रदर्श पी. 55 के प्रमाण पत्र में भी जिस कम्प्यूटर और प्रिंटर के माध्यम से जानकारी प्रिंट करके प्रेषित की गई है, उस कम्प्यूटर का मेक, मॉडल नंबर और अन्य विशिष्टिकरण उल्लेखित नहीं है। अतः प्रदर्श पी.55 का धारा 65—बी का प्रमाण पत्र भी धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधिक अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

40— महिला आरक्षक वर्षा सिंह (अ.सा.5) की परिसाक्ष्य है कि वह

लगातार.....50

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

वर्ष 2017 में राज्य सायबर सेल पुलिस जोन—इन्दौर में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी, उस समय उसने भोपाल में अपराध क्रमांक 55/2016 अंतर्गत धारा 66—सी आई.टी. एक्ट के प्रकरण में कम्प्यूटर पर निर्गमित दस्तावेजों के संबंध में धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.58 दिया था, जिसके ''ए से ए'' भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्ष्य के दौरान इस दस्तावेज को प्रदर्श पी.53 से प्रदर्शित किया गया था, लेकिन मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने दिनांक 01.07.2023 की आदेश पत्रिका के अनुसार उक्त प्रदर्श को प्रदर्श पी.53 के बजाए प्रदर्श पी. 58 से संशोधित किया है। प्रदर्श पी.58 के धारा 65—बी के प्रमाण पत्र में भी जिस कम्प्यूटर और प्रिंटर से उक्त प्रेषित मेल और उसके तारतम्य में प्राप्त जानकारी के ई—मेल का प्रिंट—आउट निकाला गया है, उस कम्प्यूटर और प्रिंटर के मॉडल, मेक, इत्यादि का विशिष्टिकरण का उल्लेख उक्त प्रमाण पत्र में नहीं है और यह भी उल्लेखित नहीं है कि उक्त कम्प्यूटर एवं प्रिंटर जिससे उक्त प्रिंट—आउट लिये गये हैं, किसके प्रभार और नियंत्रण में था।

लगातार.....51

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

अतः उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में प्रदर्श पी. 58 का धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है।

41– अभियोजन की ओर से भारती एयरटेल प्रा.लि के द्वारा मोबाईल नंबर 9944012699 के कॉल–डिटेल और कैफ के संबंध में धारा 65–बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.59 प्रस्तुत किया गया है। इस प्रदर्श पी.59 के प्रमाण पत्र में भी जिस कम्प्यूटर और प्रिंटर से कैफ रिपोर्ट और कॉल–डिटेल रिपोर्ट का प्रिंट द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उस कम्प्यूटर और प्रिंटर के भी मेक, मॉडल और उसके विशिष्टिकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रदर्श पी.59 का धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

लगातार.....52

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

42– प्रश्नगत् मामले में सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना होगा कि शिकायतकर्ता rajkumarsabu846@gmail.com, rajkumarsabu@yahoo.in, shivtrading846@yahoo.com की मेल–आई.डी. शिकायतकर्ता राजकुमार साबू की है। राजकुमार साबू (अ.सा. 1) अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करता है कि उक्त तीनों मेल–आई. डी. उसकी है, जिन्हें वह अपने व्यवसाय, निजी उपयोग व लीगल प्रोसेस के लिये करता है। प्रतिपरीक्षण के दौरान राजकुमार साबू ;अ.सा.1द्ध को पैरा–10 में चुनौती दिये जाने पर फरियादी यह कहता है कि यह कहना गलत है कि rajkumarsabu846@gmail.com, rajkumarsabu@yahoo.in, shivtrading846@yahoo.com उसकी नहीं हैं। उक्त तीनों ई–मेल आई.डी. का उपयोग शिकायतकर्ता के द्वारा अपने व्यवसायिक, व्यक्तिगत् और लीगल प्रोसेस के लिये किया जाता है, इस संबंध में शिकायतकर्ता की ओर से कोई ऐसा ई–मेल और उस ई–मेल के प्रत्युत्तर में अथवा अन्यथा उसके व्यवसाय, निजी उपयोग

लगातार.....53

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

अथवा लीगल प्रोसेस में उसे कोई ई–मेल प्राप्त हुआ हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह कहा जा सके कि उक्त तीनों ई–मेल आई.डी. शिकायतकर्ता के हैं और उसका उपयोग शिकायतकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। शिकायतकर्ता के उक्त ई–मेल के संबंध में आर्टिकल–''ए–19'' का दस्तावेज गूगल की ओर से प्रेषित किया जाना बताते हुये प्रस्तुत किया गया है। उक्त आर्टिकल–''ए–19'' के दस्तावेज में उक्त ई–मेल को 26.01.2013 को राजकुमार साबू नाम से क्रिएट किया जाना उल्लेखित किया गया है। परंतु इससे यह स्थापित नहीं होता है कि rajkumarsabu846@gmail.com का उपयोग शिकायतकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल–''ए–23'' के दस्तावेज में यह उल्लेखित है कि राजकुमार साबू याहू इंडिया प्रा.लि. से प्रशासित नहीं है। shivtrading846@yahoo.com के संबंध में आर्टिकल–''ए–21'' का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उक्त लॉग–इन नेम मिस्टर एस.टी. सी. का है। इस दस्तावेज से यह दर्शित नहीं होता है कि शिव ट्रेडिंग

लगातार.....54

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

कंपनी शिकायतकर्ता राजकुमार साबू की है। इस तथ्य को स्थापित करने के लिये शिव ट्रेडिंग कंपनी के व्यवसायिक दस्तावेज और उसके प्रोपराईटर के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे।

43– विवेचना अधिकारी निरीक्षक रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) प्रतिपरीक्षण के पैरा–9 में अभिकथित करते हैं कि आर्टिकल–''ए–21'' में किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं है और आर्टिकल–''ए–21'' में फरियादी के नाम का उल्लेख नहीं है। shivtrading846@yahoo.com को जब रजिस्टर्ड किया गया, तब उस आई.पी. लॉग–इन 122.168.78.70 की जानकारी प्रकरण में संलग्न नहीं है। आर्टिकल–''ए–21'' में पास–वर्ड चेंज आई.पी. एड्रेस 182.70.196.6 व अन्य आई.पी. की भी जानकारी प्रकरण में संलग्न नहीं है। उसके द्वारा इस ई–मेल आई.डी. के आल्टरनेट ई–मेल व रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर की जानकारी भी नहीं बुलाई गई। इस ई–मेल आई.डी. फरियादी उपयोगकर्ता था, ऐसा कोई दस्तावेज फरियादी ने प्रस्तुत नहीं किया है।

लगातार.....55

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

44– रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) की प्रतिपरीक्षण के पैरा–10 में यह परिसाक्ष्य है कि rajkumarsabu@yahoo.in आर्टिकल–''ए–23'' के अनुसार उनके पास इस नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं है। फरियादी द्वारा जिस रिकवरी ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in को हटाना बताया गया है, उसके संबंध में विवेचना के दौरान उसे कोई तथ्य नहीं मिले हैं। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि फरियादी द्वारा दिये गये ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in फरियादी की है अथवा नहीं।

45– उपरोक्तानुसार विवेचना अधिकारी रविकांत डेहरिया (अ.सा. 10) के द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा कहे जा रहे ई–मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in एवं shivtrading846@yahoo.com के संबंध में विवेचना नहीं की गई और न ही इस संबंध में प्रमाण एकत्रित किये गये कि उक्त दोनों ई–मेल आई.डी. का उपयोग शिकायतकर्ता के द्वारा किया जाता है। विवेचना अधिकारी रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) प्रतिपरीक्षण के पैरा–10 में कहते हैं कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान

लगातार.....56

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

केवल आई.पी. एड्रेस 177.218.125.78 की ही जानकारी आहूत की गई थी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य आई.पी. की जानकारी उसके द्वारा नहीं बुलाई गई।

46– उपरोक्तानुसार विवेचना अधिकारी के कथन के अनुसार उसके द्वारा केवल आई.पी. एड्रेस 177.218.125.78 की जानकारी बुलवाई गई थी। बी.एस.एन.एल. के द्वारा प्रेषित उक्त जानकारी प्रदर्श पी.56 प्रेषित की गई है। प्रदर्श पी.56 के अनुसार आई.पी.एड्रेस 177.218.125.78 प्रश्नगत् घटना दिनांक और समय पर फोन नंबर 0427–2340100 के उपयोगकर्ता साबू ट्रेड प्रा.लि. का है। इस संबंध में अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं. किये जाने पर उसके बिल और मॉडेम के संबंध में आई साक्ष्य को स्वीकार किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त आई. पी.एड्रेस 177.218.125.78 साबू ट्रेड प्रा.लि. के यूजर के लेण्ड–लाईन फोन नंबर 0427–234100 का है।

लगातार.....57

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

47— उपरोक्तानुसार यद्यपि कि फरियादी राजकुमार साबू के द्वारा दिया गया धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 43 धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप नहीं है, इसके बावजूद यदि फरियादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी.3 लगायत प्रदर्श पी.11 का अवलोकन किया जावे तो 03 जून को 20:42 बजे सलेम (तमिलनाडू) से आई.पी.एड्रेस 177.218.125.78 के द्वारा चेंज पास—वर्ड का उल्लेख मिलता है और इसके पश्चात् 20:43 बजे उक्त आई.पी.एड्रेस 177.218.125.78 से ही सेमसंग गेलेक्सी नोट—5 के द्वारा लॉग—इन किये जाने का तथ्य दर्शित होता है। प्रश्नगत् मामले में यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त आई.पी.एड्रेस 177.218.125.78 से 20:42 बजे पास—वर्ड चेंज करने की कार्यवाही किस डिवाईस या कम्प्यूटर से की गई। इस मामले में विवेचना अधिकारी के रूप में कोई विवेचना नहीं की गई है। उक्त आई.पी.एड्रेस 177.218. 125.78 से फोन नंबर एड करने और रिकवरी ई—मेल आई.डी. चेंज करने की कार्यवाही किस डिवाईस से अथवा कम्प्यूटर से की गई है, उसे भी

लगातार.....58

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

मामले में जप्त नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई विवेचना की गई है। जिस सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 से लॉग–इन करना उल्लेखित किया गया है, इस संबंध में विवेचना अधिकारी रविकांत डेहरिया (अ.सा.10) प्रतिपरीक्षण के पैरा–16 में कहते हैं कि बी.एस.एन.एल. द्वारा सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 के द्वारा घटना कारित करने का उल्लेख आर्टिकल–''ए–25'' के ई–मेल में किया गया है, उसने इस प्रकरण में सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 को जप्त नहीं किया है। उसने इस हेण्ड–सेट को सर्विलांस पर नहीं लगाया, जिससे इस हेण्ड–सेट में यदि दूसरी सिम लगे, तो एलर्ट मैसेज पुलिस को प्राप्त हो। प्रतिपरीक्षण के पैरा–18 में कहते हैं कि फरियादी द्वारा बताई गई 04 जून 2016 की घटना के संबंध में अभियुक्तगण का आई.पी.एड्रेस मिला या नहीं, वह इस संबंध में नहीं बता सकता है। उसके द्वारा प्रदर्श पी.3 में उल्लेखित हेण्ड सेट मोटोरोला, मोटो–जी (थर्ड जेन) एवं लायनेक्स की जांच नहीं की। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के द्वारा कहे जा रहे जिस ई–मेल

लगातार.....59

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

rajkumarsabu846@gmail.com के पास–वर्ड को चेंज करना कहा जा रहा है, उस डिवाईस का खुलासा नहीं हुआ है और फिर लॉग–इन किये गये सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 को जप्त नहीं किया गया है, जिससे यह स्थापित हो सके कि सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 का हेण्ड–सेट किसका था और उस व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाकर शिकायतकर्ता के कहे जा रहे ई–मेल rajkumarsabu846@gmail.com का रिकवरी ई–मेल और मोबाईल नंबर चेंज किया गया है।

48– गूगल की ओर से आर्टिकल–''ए–19'' की जानकारी प्रेषित की गई है। इस आर्टिकल–''ए–19'' की जानकारी में आई.पी.एड्रेस 177.218.125.78 से लॉग–इन करने का उल्लेख है, जो दिनांक 03.06.2016 को 15:13:01–UTC का उल्लेख है। इसके पश्चात् उक्त दिनांक 03.06.2016 को ही 15:19:20–UTC , 15:23:53–UTC पर लॉग–इन किये जाने का उल्लेख है। तत्पश्चात् एक अन्य आई.पी.एड्रेस 1.39.21.14 से 16:07:24–UTC पर लॉग–इन होने का उल्लेख है और

लगातार.....60

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

इसके पश्चात् फिर आई.पी.एड्रेस 177.218.125.78 से 17:29:32– UTC, 19:16:29–UTC एवं दिनांक 04.06.2016 को 03:29:56–UTC पर लॉग–इन होना उल्लेखित है। आर्टिकल–''ए–19'' में उल्लेखित समय और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी.3 लगायत प्रदर्श पी.5 एवं प्रदर्श पी.7 में उल्लेखित समय में भिन्नता है। गूगल से सर्च करने पर यह प्रकट हुआ कि समय के साथ जब UTC का उल्लेख हो तो इसका आशय को–आर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाईम होता है और भारत में यू.टी.सी. में 5:30 घंटे जोड़कर वास्तविक समय निकलता है। इस प्रकार आर्टिकल–''ए–19'' में उल्लेखित समय और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी. 3 लगायत प्रदर्श पी.5 एवं प्रदर्श पी. 7 में बहुत भिन्नता प्रतीत नहीं होती, सिवाए प्रदर्श पी.5 में चेंज पास–वर्ड के समय में, जो 03 जून 2016 को 20:42 बजे और आर्टिकल–''ए–19'' में उक्त आई.पी. एड्रेस से लॉग–इन समय 15:13:01 में पांच घंटे तीस मिनिट जोड़ने पर 20:43:01 होता है, जबकि पास–वर्ड चेंज करने का समय प्रदर्श पी.5 में 03 जून

लगातार.....61

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

20:42 है।

49– अभियोजन की ओर से उक्त ई–मेल आई.डी. में चेंज किये गये मोबाईल नंबर 9944012699 को आर्टिकल–''ए–13'' के अनुसार बी. मणिकंदन का होना कहा जा रहा है। आर्टिकल–''ए–13'' एयरटेल के द्वारा दी गई कैफ की जानकारी है। उक्त मणिकंदन की बात मोबाईल नंबर 9361705753 से होना कहा जा रहा है और इस मोबाईल को अभियुक्त विशाल साबू का होने का तर्क किया गया है। विशाल साबू के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी.47 के अनुसार और उसका फोन नंबर 9361705753 है। यदि उक्त दोनों मोबाईल नंबरों के बीच बात हुई हो तो उक्त मणिकंदन के संबंध में जब तक वस्तु–स्थिति स्पष्ट न हो तब तक उक्त बातचीत होने के आधार पर सिर्फ संदेह किया जा सकता है।

50– उपरोक्तानुसार यह स्थापित है कि आई.पी.एड्रेस 177.218. 125.78 से जो लेण्ड–लाईन नंबर 0427–2340100 के मॉडेम वाय–फाय

लगातार.....62

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

का है, वह साबू ट्रेड प्रा.लि. के नाम का है, अभियुक्तगण के व्यक्तिगत नाम का नहीं है। मामले में किसी कंपनी के नाम से दर्ज लेण्ड–लाईन नंबर के आधार पर कंपनी के डायरेक्टरों को दांडिक प्रकरणों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उनका विशिष्ट कृत्य स्थापित नहीं किया जावे और कंपनी के द्वारा जब तक उक्त अपराध नहीं किया जा सकता, तब तक कंपनी के डायरेक्टरों को अपराध के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मामले में उस कथित सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 के मोबाईल को विवेचना अधिकारी ने जप्त नहीं किया है और न ही उस डिवाईस के बारे में विवेचना की, जिससे लॉग–इन करके उस कथित ई–मेल का पास–वर्ड परिवर्तित किया गया था। मामले में अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि अभियुक्तगण ने उक्त अपराध कारित करने के लिये सामान्य आशय निर्मित किया हो। सामान्य आशय के सिद्धांत अंतर्गत धारा 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्तगण

लगातार.....63

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

के द्वारा सामान्य आशय निर्मित किया जावे और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण के द्वारा कोई ओवर्ट–एक्ट अर्थात् अपराध के क्रियान्वयन में क्रियाशील योगदान अर्थात् Active Participation किया जावे। प्रश्नगत् मामले में इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है। अतः धारा 34 भा.दं.वि. के अतर्गत अभियुक्तगण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मामले में अभियुक्तगण के विशिष्ट कृत्य किये जाने के संबंध में ही विचार किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार मामले में उस कथित डिवाईस और सेमसंग गेलेक्सी नोट–5 को जप्त नहीं किये जाने से यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि उक्त कहे जा रहे ई–मेल के पास–वर्ड और रिकवरी आई.डी. तथा मोबाईल नंबर को अभियुक्तगण के द्वारा परिवर्तित किया गया।

51– उपरोक्त परिसाक्ष्य अधिमूल्यन के आधार पर यह दर्शित होता है कि मामले में अभियोजन द्वारा यह युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया कि फरियादी राजकुमार साबू द्वारा कहे जा रहे

लगातार.....64

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

ई—मेल rajkumarsabu846@gmail.com, rajkumarsabu@yahoo.in, shivtrading846@yahoo.com शिकायतकर्ता के ही हैं और शिकायतकर्ता के द्वारा अपने व्यवसायिक, निजी एवं लीगल प्रोसेस के लिये उपयोग किये जाते हैं। मामले में प्रस्तुत धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.42, प्रदर्श पी.43, प्रदर्श पी. 55, प्रदर्श पी.58, प्रदर्श पी. 59, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं और जिन दस्तावेजों को कम्प्यूटर से और प्रिंटर से प्रिंट करके द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह भी साक्ष्य में अग्राह्य हो जाते हैं। यदि धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को सही मानते हुये भी प्रस्तुत द्वितीयक साक्ष्य पर विचार किया जावे तो सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि उक्त आई.पी.एड्रेस 177.218.125.78 अभियुक्तगण की कंपनी साबू ट्रेड प्रा.लि. के नाम के लेण्ड—लाईन फोन नंबर का है। अभियुक्तगण का मामले में कोई व्यक्तिगत् कृत्य, अभियोजन की ओर से

लगातार.....65

स्थापित नहीं किया गया है। मामले में धारा 34 भा.दं.वि. के आवश्यक तत्व सामान्य आशय का निर्मित किया जाना एवं क्रियाशील योगदान के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त आई.पी.एड्रेस 177.218.125.78 अभियुक्तगण के कंपनी के लेण्ड—लाईन के होने के आधार पर एवं मोबाईल नंबर 9361705753 अभियुक्त विशाल साबू का होने मात्र से अभियुक्तगण पर शंका की जा सकती है। परंतु शंका साक्ष्य का आधार नहीं ले सकती है। इस शंका को मिटाने के लिये मामले में यह जरूरी था कि जिस डिवाईस से उस आई.पी.एड्रेस का उपयोग करके शिकायतकर्ता के कहे जा रहे ई—मेल आई.डी. का पास—वर्ड चेंज किया जाकर और फिर जिस सेमसंग गेलेक्सी नोट—5 से लॉग—इन किया जाकर रिकवरी, ई—मेल और फोन नंबर चेंज किया गया, उसे जप्त किया जाता और उसका उपयोग करने वाले की सुनिश्चित्ता की जाती और यदि वे अभियुक्तकण होते तब उन्हें उक्त कृत्य के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता था।

52— इस संबंध में माननीय **SUPREME COURT OF INDIA**

लगातार........66

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

(FROM RAJASTHAN) ***(C.B.)*** ने न्यायदृष्टान्त **DEVI LAL; BABU LAL V/S STATE OF RAJASTHAN Date of Decision: 08 January 2019 Citation: 2019 LawSuit(SC) 36** की कंडिका 16 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :—

> **[16]** On an analysis of the overall fact situation in the instant case, and considering the chain of circumstantial evidence relied upon by the prosecution and noticed by the High Court in the impugned judgment, to prove the charge is visibly incomplete and incoherent to permit conviction of the appellants on the basis thereof without any trace of doubt. **Though the materials on record hold some suspicion towards them, but the prosecution has failed to elevate its case from the realm of "may be true" to the plane of "must be true" as is indispensably required in law for conviction on a criminal charge. It is trite to state that in**

लगातार.....67

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

a criminal trial, suspicion, howsoever grave, cannot substitute proof.

53— उपरोक्त परिसाक्ष्य अधिमूल्यन के आधार पर अभियोजन द्वारा यह युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है कि दिनांक 03.06.2016 को रात्रि 8:42 बजे एवं 8:43 बजे या उसके लगभग सेलम ;तमिलनाडूद्ध भारत में अभियुक्तगण ने फरियादी राजकुमार साबू के ई—मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com के रिकवरी मेल आई.डी. rajkumarsabu@yahoo.in एवं रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9827021846 को एवं पास—वर्ड को परिवर्तित कर क्रमशः shudev100@gmail.com एवं मोबाईल नंबर 9944012699 किया और राजकुमार साबू की ई—मेल आई.डी. rajkumarsabu846@gmail.com का प्रयोग कर उक्त ई—मेल rajkumarsabu846@gmail.com के पहचान की चोरी की अथवा उक्त कृत्य सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित किया। अतः अभियुक्तगण को धारा 66—सी आई.टी. एक्ट एवं विकल्प में धारा 66—सी आई.

लगातार.....68

Registration No. RCT/9821/ 2017
Filing No. RCT/122173/ 2017
CNR No. MP0401 022839 2017
Filing Date 12-08- 2017

टी. एक्ट सपठित धारा 34 भा.दं.वि. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

54— अभियुक्तगण के जमानत—मुचलके धारा 437—ए दं.प्र.सं. के अंतर्गत विहित समयावधि छः माह के लिये विस्तारित किये जाते हैं। उक्त अवधि पश्चात् अभियुक्तगण के जमानत—मुचलके उन्मोचित समझे जावेंगे और उनके जमानतदार भारमुक्त समझा जावेगा।

55— प्रकरण में जप्तशुदा मॉडेम बाद अपील अवधि अपील नहीं होने की दशा में अभियुक्त गोपाल साबू को वापस किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

स्थान :— भोपाल

दिनांकः— 21.08.2023

(संदीप कुमार श्रीवास्तव)
सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

SANDEEP KUMAR SHRIVASTAVA

Digitally signed by SANDEEP KUMAR SHRIVASTAVA
Date: 2023.08.21 18:06:34 +0530